पुनःनिविदा

वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् तथा इसके संस्थानों के लिए किराये पर EPABX प्रणाली प्रदान करने

हेतु

द्विचरणीय निविदा बोली अभिलेख

(निविदा संख्या 03/पी.ओ./EPABX/प्रशासन/भा.वा.अ.शि.प./2020–21)

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006
(उत्तराखण्ड)

पुनः निविदा आमंत्रण हेतु नोटिस

(राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली)
पोस्ट – न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006, उत्तराखण्ड, भारत
दूरभाष : 0135–2224869, 0135–2750297
वेबसाईट : http://www.icfre.gov.in ई–मेल : adg_admin@icfre.org

निविदा संख्या :

1. **उद्देश्य :** भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् तथा इसके संस्थानों को वॉयस तथा ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए EPABX प्रणाली (किराये पर) के लिए एकल चरण में द्विचरणीय निविदा बोली को ऑनलाइन आमंत्रित करते हैं।
   उपर्युक्त वस्तुओं तथा अन्य नियम एवं शर्तों का विवरण, इत्यादि का विवरण निविदा अभिलेख में उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र तथा विनिर्देश CPPP साइट https://eprocure.gov.in तथा वेबसाइट http://www.icfre.gov.in पर उपलब्ध हैं।
2. निविदा विवेचनात्मक तिथि–सारिणी में निम्नांकित सूची के अनुसार निविदा अभिलेखों को भा.वा.अ.शि.प. **वेबसाइट http://www.icfre.gov.in (संदर्भ हेतु मात्र) तथा CPPP साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app** से डाउनलोड किया जा सकता है।

सत्र	महत्वपूर्ण तिथि/समय	स्थान
प्रकाशन तिथि	26.05.2020, अपराह्न 04:00 बजे तक	सी.पी.पी. पोर्टल/भा.वा.अ.शि.प. /समाचार पत्र
बोली अभिलेख डाउनलोड तिथि	27.05.2020, अपराह्न 04:30 बजे से	केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (CPP)
बोली प्रस्तुत करने की आरम्भ तिथि	27.05.2020 अपराह्न 05:00 बजे	CPP पोर्टल
स्पष्टीकरण आरम्भ तिथि	29.05.2020 पूर्वाह्न 11:00 बजे	भा.वा.अ.शि.प. में
बोली पूर्व प्रस्तुतीकरण	तकनीनी मूल्यांकन के उपरान्त सूचित किया जायेगा	
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	16.06.2020 अपराह्न 4:30 बजे	CPP पोर्टल
तकनीकी बोली खोलने की तिथि	17.06.2020 अपराह्न 4:40 बजे	क्रय अनुभाग, भा.वा.अ.शि.प.
वित्तीय बोली खोलने की तिथि	तकनीकी मूल्यांकन पश्चात इस पर निर्णय लिया जाएगा	क्रय अनुभाग, भा.वा.अ.शि.प.

नोटः *जिस फर्म ने प्रस्तुतीकरण में पहले भाग लिया हो उस फर्म को बोली पूर्व प्रस्तुति की आव”यकता नहीं है।*

सहायक महानिदेशक
(प्रशासन)

बोलिदाताओं को अनुदेश

बोलियां CPP साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ही ऑनलाइन जमा की जाएंगी। निविदाकर्ताओं/बोलिदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के माध्यम से https://eprocure.gov.in/eprocure/app में ई–प्रोक्योरमेण्ट के लिए ''निविदाकर्ताओं/ बोलिदाताओं के लिए ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए अनुदेश'' में दिए गए अनुदेशों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

एक निविदाकर्ता/बोलीदाता द्वारा एक से अधिक निविदा जमा नहीं की जाएगी। किसी भी परिस्थितियों में, पिता तथा उसके पुत्र या निकटजन जिनके एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध हैं (यथा जब एक या उससे अधिक भागीदार या निदेशक एकसमान हैं) उसी अनुबंध के लिए पृथक प्रतिद्वंदी के रूप में भाग नहीं ले सकते हैं। **इस परिस्थिति के भंग होने पर दोनों पक्षों की निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।**

निविदाकर्ता/बोलीदाता जिसने http://www.icfre.gov.in तथा केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (CPPP) साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app से निविदा को डाउनलोड किया है, किसी भी रूप में निविदा प्रपत्र को डाउनलोड किए गए प्राइस बिड टेम्पेलेट को सम्मिलित कर निविदा प्रपत्र में **किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा। यदि किसी स्थिति में, उक्त के साथ छड़छाड़/किसी भी प्रकार का संसोधन पाया जाता है,** तो निविदा को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और जमा बयाना धनराशि (ई.एम.डी.) को जब्त कर दिया जाएगा तथा निविदाकर्ता/बोलीदाता को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के साथ भविष्य में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

इच्छुक निविदाकर्ताओं/बोलीदाताओं निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व तक किसी भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन इत्यादि के लिए भा.वा.अ.शि.प वेबसाइट http://www.icfre.gov.in तथा CPPP साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app को दोबारा देखते रहने की सलाह दी जाती है।

1.0 अर्हक बोली

अर्हक अभिलेखों को CPPP वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता/बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि को निम्नांकित अभिलेखों को प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके तथा मूल अभिलेखों की स्कैन की गई प्रति को पी.डी.एफ. प्रारूप में, अर्हक बोली के रूप में CPPP पोर्टल में अपलोड करना होगा।

क) महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून के पक्ष में देहरादून में देय, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.)/बैंक गारण्टी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु. 50,000/– (पचास हजार रूपये मात्र) की जमा बयाना धनराशि प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त की स्कैण्ड प्रति को CPP पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जमा बयाना धनराशि की हार्ड प्रति को सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प., देहरादून – 248006 को अहक बोली जमा करने की अंतिम तिथि/समय से पूर्व प्रेषित करना होगा।

ख) फर्म द्वारा रु. 10/– के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैण्ड प्रति जिसमें फर्म को भा.वा.अ.शि.प. या इसके संस्थानों/किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा वर्ज्य सूची (ब्लैक लिस्ट)/विवर्जित/प्रतिबंधित नहीं होना उल्लिखित हो, को निविदा अभिलेख के साथ संलग्न किया होना चाहिए, यह नहीं किए जाने पर बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

ग) मूल अभिलेखों/प्रमाण पत्रों, GST, TIN No. तथा PAN की हस्ताक्षरित एवं स्कैण्ड प्रति।

घ) निविदा शुल्क : उपर्युक्त वर्णित वेबसाइटों से डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र के साथ महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून के पक्ष में देहरादून में देय रु. 2000/– + 18% GST का रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट सम्मिलित होना चाहिए। यह गैर वापसी योग्य होगा। उक्त की हार्ड प्रति को अर्हक बोली खुलने की अंतिम तिथि/समय पर या से पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। उक्त की स्कैण्ड प्रति को पोर्टल में अपलोड की जानी चाहिए।

च) इच्छुक बोलीदाताओं को निम्नांकित के संबंध में स्पष्ट रूप से प्रलेख प्रमाण इंगित करना होगा, जिसकी अनुपस्थिति में प्रस्ताव को पूर्व–अर्हता चरण में ही प्रथम दृष्टतया अस्वीकृत कर दिया जाएगा :–

(i) पाँच वर्षों की उपस्थिति के साथ डी.ओ.टी. (दूरसंचार विभाग) के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी (पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा)।

(ii) **टेलीफोन सेवाओं में विगत दो वित्त वर्षों में बीस करोड़ रूपये या उससे ऊपर को वार्षिक टर्न ओवर।**

(iii) आवश्यकता होने पर, VoIP सेवाएं तथा IP फोन प्रदान कर पाने का सामर्थ्य।

(iv) समरूप क्षमता के न्यूनतम दो (2) एक्सचेन्जों में में विगत पाँच वर्षों में किराये पर EPABX प्रदान करने का अनुभव।

(v) निविदा फर्म की मूल रूप–रेखा तथा विवरण के हस्ताक्षरित एवं स्कैण्ड प्रति का प्रारूप **परिशिष्ट – I** में प्रदान किया गया है। **(प्रपत्र I, प्रपत्र II तथा प्रपत्र V)**

(vi) निविदा स्थितियों के स्वीकरण के मूल पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैण्ड प्रति को प्रारूप **परिशिष्ट – II** में प्रदान किया गया है।

(vii) मुख्य कार्यालय/शाखा कार्यालय के पते को दर्शित करता नवीनतम लैण्डलाइन टेलीफोन/विद्युत बिल की प्रति।

(viii) विगत एक वर्ष में भारत सरकार को देय GST विवरण की विधिवत प्रमाणित प्रति।

नोट – बोलीदाता से उपर्युक्त अभिलेखों को उचित क्रम संख्या के साथ अनुक्रमानुसार व्यवस्थित करने का अनुरोध है।

सामान्य सूचना

i) इलैक्ट्रानिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेन्ज प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

ii) बोलीदाताओं से निविदा अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। बोलियों की प्रस्तुति का आशय यह समझा जाएगा कि इसके निहितार्थ को सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करने पश्चात ध्यानपूर्वक अध्ययन तथा निविदा अभिलेख के परीक्षण पश्चात ही निविदा अभिलेख को जमा किया गया है।

iii) भा.वा.अ.शि.प. के पक्ष से कोई भी स्पष्टीकरण या आवश्यकताओं में किसी भी परिवर्तन की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अतः, बोली प्रस्तुत करने से पूर्व, बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे कोई भी स्पष्टीकरणों/परिवर्तनों पर उनके द्वारा विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार के लोप होने पर भा.वा.अ.शि.प. की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

iv) भा.वा.अ.शि.प. किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण नियत किए निरस्त करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रखता है।

2. निविदा की प्रस्तुति

निविदा को दो भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यथा,

क. तकनीकी बोली

ख. वित्तीय बोली

3.1 बोली पूर्व प्रस्तुतिकरण

भा.वा.अ.शि.प., देहरादून में, सहायक महानिदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में समिति तथा बोलीदाताओं के मध्य अनुबंध के स्पटीकरण/अंतिम रूप दिए जाने की नियम एवं शर्तों इत्यादि पर एक बोली पूर्व प्रस्तुतिकरण आयोजित किया जाएगा। बोलीदाताओं को नियत तिथि एवं समय पर बोली पूर्व प्रस्तुतिकरण में अवश्य भाग लेना होगा तथा प्रयुक्त किए जाने वाली क्रिया–विधि/यंत्रों का मॉडल तथा तकनीकी विशिटताओं को जमा करना होगा।

3.2 वित्तीय बोली

क) निम्नांकित वित्तीय प्रस्ताव/वाणिज्यिक बोली प्रारूप को इस निविदा अभिलेख के साथ https://eprocure.gov.in/epublish/app में BoQ xls के रूप में प्रदान किया गया है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि प्रारूप को यथावत BoQ xls प्रारूप में डाउनलोड करें तथा विनिर्दिष्ट खण्ड में अपने प्रस्ताव/दरों को उद्धरित करें तथा उक्त को वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। **बोलीदाता किसी भी रूप में डाउनलोड किए गए प्राइस बिड टेम्पलेट में कोई भी छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा।** यदि, उक्त के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा को पूर्णतः निरस्त कर दिया जाएगा और जमा बयाना धनराशि को जब्त कर दिया जाएगा तथा भविष्य में निविदाकर्ता पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

ख) प्रशासनिक शुल्क/सेवा शुल्क में सभी कर, शुल्क, चुंगी इत्यादि सम्मिलित होंगे तथा किसी भी वैधानिक कर, शुल्क इत्यादि में संशोधन बोलीदाता का उत्तरदायित्व होगा और उक्त को BoQ xls में भरना होगा।

ग) **वस्तु एवं सेवा कर को स्पष्ट रूप से ऑनलाइन वित्तीय प्रस्ताव में उल्लिखित करनर होगा। इसका भुगतान सरकार के मानदण्डों के अनुसार होगा।**

घ) अंकों में इंगित धनराशि तथा शब्दों में उल्लिखित धनराशि में विसंगति/अंतर होने की स्थिति में शब्दों में उल्लिखित धनराशि मान्य होगी तथा उस पर ही विचार किया जाएगा।

4. बोली मूल्यांकन, कार्यादेश, बैंक गारण्टी तथा समझौता

बोलियों के मूल्यांकन तथा कार्यादेश निर्गत किए जाने में निम्नांकित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा :

क. तकनीकी बोली को खोलना

सभी बोलीदाताओं के संबंध में निर्धारित तिथि व समय तक प्राप्त तकनीकी बोली को भा.वा.अ.शि.प. द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित बोली मूल्यांकन समिति द्वारा खोला जाएगा। प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की यहाँ जाँच की जाएगी तथा तत्पश्चात मूल्यांकन किया जाएगा। अपरिपूर्ण अभिलेखों या आवश्यक अभिलेखों की गैर–प्रस्तुति पर बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा अग्रेतर मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। तकनोकी बोली खुलने के समय यदि बोलीदाता उपस्थित रहने के इच्छुक हों तो उपस्थित रह सकते हैं।

i)	किराये पर EPABX प्रवर्तित करने के समान अनुभव को सम्मिलित कर फर्म का प्रासंगिक अनुभव	40
ii)	परिशिष्ट II में दी गई अवस्थितयों को सम्मिलित कर भारत के न्यूनतम 50 शहरों में टेलीकॉम सेवा प्रदाता की उपस्थिति (प्रत्येक भा.वा.अ.शि.प. की अवस्थिति में)	40
III)	बोलीदाता द्वारा प्रदान किया तकनीकी समाधान तथा इसका प्रस्तुतीकरण	20
	कुल स्कोर (S_t)	100

वित्तीय बोली हेतु विचार किए जाने के लिए बोलीदाता को तकनीकी मूल्यांकन में 100 में से न्यूनतम 70 अंक अर्जित करने होंगे।

ख. वित्तीय बोली को खोलना :–

वित्तीय बोली का मूल्यांकन 30 के कुल तकनीकी स्कोर में से किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली को निविदा की समय–सारिणी अनुसार खोला जाएगा। अर्हक बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को बोली मूल्यांकन समिति द्वारा खोला तथा उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

वित्तीय बोली का मूल्यांकन कल 30 अंकों में से किया जाएगा। न्यूनतम बोली को अधिकतम 30 अंक प्रदान किए जाएंगें तथा अन्य बोलीदाताओं को बोली धनराशि के विपरीत क्रमानुपात में अंक प्रदान किए जाएंगे।

वित्तीय बोली का मूल्यांकन 30 के कुल तकनीकी स्कोर में से निष्पादित किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली को निविदा की समय–सारिणी अनुसार खोला जाएगा। अर्हक बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को बोली मूल्यांकन समिति द्वारा खोला तथा उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

वित्तीय बोली का मूल्यांकन कुल 30 अंकों में से किया जाएगा। न्यूनतम बोली को अधिकतम 30 अंक प्रदान किए जाएंगें तथा अन्य बोलीदाताओं को बोली धनराशि के विपरीत क्रमानुपात में अंक प्रदान किए जाएंगे।

ग. निविदा को अंतिम रूप दिया जाना : तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली दोनों में अधिकतम अंक अर्जित करने वाले बोलीदाता को ही अंतिम कार्यादेश प्रदान किया जाएगा। कुल योग के अनुसार (तकनीकी एवं वित्तीय स्कोर दोनों) न्यूनतम उद्धरित दर को वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् तथा इसके संस्थानों को किराये पर EPABX प्रणाली प्रदान करने का कार्यादेश प्रदान किया जाएगा।

घ) कार्यादेश, प्रदर्शन बैंक गारण्टी तथा समझौता :

सफल बोलीदाता को सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प. के साथ समझौता हस्ताक्षर करने के लिए 15 दिवसों का समय प्रदान कर कार्यादेश निर्गत किया जाएगा तथा समझौते के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करनी प्रारम्भ करेगा। सफल बोलीदाता समझौता हस्ताक्षर करने से पूर्व, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत प्रदर्शन बैंक गारण्टी प्रस्तुत करेगा, जिसकी वैद्यता अनुबंध

समाप्त होने की अवधि से 6 माह पश्चात की होगी तथा धनराशि कुल वार्षिक अनुबंध मान के 15% के समकक्ष होगी। यदि, सफल बोलीदाता प्रदर्शन बैंक गारण्टी जमा करने में विफल होता है, समझौते पर 15 दिनों के अंतर्गत हस्ताक्षर नहीं करता तथा अनुबंध के अनुसार सेवा प्रदान नहीं कर पाता, बोलीदाता की जमा बयाना धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा को अन्य पक्ष को प्रदान कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई भी क्षति, यदि कोई, त्रुटिकर्ता पक्ष द्वारा देय होगी।

5. **प्रस्तावों का मूल्यांकन**

<u>तीन चरणों की मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।</u>

(i) **चरण – 1** तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन

बोली के साथ प्रस्तुत अर्हक/तकनीकी अभिलेखों की जाँच की जाएगी, तथा इन अभिलेखों के मध्य अपात्रता होने पर प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जाएगा।

तकनीकी मूल्यांकन मापदण्ड में फर्म का **प्रासंगिक अनुभव, तकनीकी कर्मचारी (योग्यताएं, उपलब्धता तथा अनुभव) तथा आवश्यक आधारभूत संरचना मशीनरी इत्यादि की उपलब्धता** सम्मिलित होगा। तकनीकी मूल्यांकन में प्रस्ताव के साथ प्रेषित नमूनों की गुणवत्ता की जाँच भी सम्मिलित होगी। मूल्यांकन 100 के कुल तकनीकी अंकों (S_t) में से किया जाएगा तथा 100 में से 70 अंक अर्जित करना वित्तीय मूल्यांकन के लिए पात्रता मापदण्ड होगा।

(ii) चरण – 2 वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन

$$S_f = 30 \times \frac{S_{lowest}}{S_b}$$

S_{lowest} = **न्यूनतम बोली धनराशि**

S_b = **बोलीदाता 'b' द्वारा उद्धरित बोली धनराशि**

S_t = **तकनीकी बोलो अंक**

कुल अंक = $S_f + S_t$

iii) चरण – 3 बोली का अंतिम मूल्यांकन

$S = S_t \times T\% + S_f \times F\%$ के द्वारा समेकित तकनीकी (S_t) तथा वित्तीय (S_f) अंकों के अनुसार प्रस्ताव को श्रेणीबद्ध किया जाएगा।
तकनीकी प्रस्ताव को प्रदान किया गया महत्व (T%) 70% है।
वित्तीय प्रस्ताव को प्रदान किया गया महत्व (F%) 30% है।

iv) वित्तीय मूल्यांकन

क) मूल्यांकन समिति यह निर्धारित करेगी कि वित्तीय प्रस्ताव पूर्ण हैं तथा गणनात्मक त्रुटियों से मुक्त हैं।

ख) प्रस्ताव की कुल लागत ही उद्धरित दरों के आधार पर संगणित कुल लागत है।

ग) न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव (L1) ही मान्य होंगे।

v) तकनीकी तथा वित्तीय अंकों को ध्यान में लेना ही अंतिम मूल्यांकन मापदण्ड होगा।

6. कार्य की व्यापकता तथा प्रदेय

6.1 क) वेण्डर समझोता अनुबंध हस्ताक्षर करने की तिथि के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंतर्गत परियोजना कार्य प्रारम्भ करेगा तथा अनुबंध की कुल अवधि समझौता अनुबंध हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से 05 (पाँच) वर्षों तक की होगी और आपसी सहमति के आधार पर विस्तृत किया जा सकता है।

ख) वेण्डर वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् तथा इसके संस्थानों में प्रयुक्त उपकरणों का ऑन–साइट रखरखाव अनुबंध प्रदान करेगा तथा खराबी या अवरोध की स्थिति में 24 घण्टों के अंतर्गत वैकल्पिक सेवाएं प्रदान करेगा।

वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के परिसरों तथा इसके संस्थानों में एक 230 V एकल फेज 50 Hz का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना होगा।

किराये पर EPABX का प्रावधान एवं किराए मुक्त PRI लाइन

(दरों का उद्धरण रूपये मात्र में)

क्र. सं.	**अवस्थिति**	**एक्सचेन्ज की क्षमता (नोड)**	**वार्षिक किराया (प्रति नोड)**	**वस्तु एवं सेवा कर इत्यादि, यदि कोई**
1.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	700		
2.	उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	200		
3.	शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	200		
4.	काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरू	200		
5.	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	150		
6.	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	150		
7.	वन उत्पादकता संस्थान, राँची	70		
8.	हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला	70		
9.	वन जैवविविधता संस्थान, हैदराबाद	120		

नोट : दरों के उद्धरण से पूर्व मानक EPABX प्रणाली रेंटल फ्री PRI लाइन्स सम्पूर्ण MDF इत्यादि के अनुसार वेण्डर वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् को छोड़कर सभी संस्थानों से संबंधित संस्थान/केन्द्र में मूलभूत EPABX की प्राथमिक आवश्यकता तथा विशिष्टता प्राप्त कर लें।

6.2 नवीन रेंटल **EPABX** प्रणाली के साथ (02) दो **PRI** (किराया मक्त)

a) निम्नांकित हेतु सम्पूर्ण स्विचिंग अधिष्ठापन, पतिस्थापन तथा परीक्षण यंत्र

- वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (मुख्यालय) हेतु वॉयस ओवर इण्टरनेट प्रोटोकॉल के लिए सक्षम 700 वर्किंग एक्सटेंशन।

- आवश्यकतानुसार किसी भी समय कार्ड्स के परिवर्धन/प्रतिस्थापन के माध्यम से डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन्स (डी.एस.एल.)/मूल्य वर्धित सेवाओं (वी.ए.एस.) को जोड़ा जा सके या सक्षम हो।

b) 12–18 घण्टों के बैकअप के लिए बैटरीयों को सम्मिलित कर संपूर्ण पावर प्लांट का प्रावधान।

c) लाइन प्रोटेक्शन के साथ इसकी वायरिंग के साथ संपूर्ण एम.डी.एफ. का प्रावधान तथा परीक्षण।

d) फॉल्ट अवस्थिति, उपभोक्ता प्रबंधन तथा बिलिंग सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रावधान।

e) पी.आर.आई. कनेक्टीविटी के माध्यम से बाहर से कनेक्ट करने का प्रावधान।

f) सभी अवस्थितियों के एक्सचेंज के मध्य समन्वय करने के लिए फर्म से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान।

g) EPABX ने भवनों तथा कॉपर की आंतरिक वायरिंग के मध्य आधारशिला के रूप में समर्थन करना होगा।

i) EPABX प्रदान करने वाले वेण्डर को EPABX के लिए वर्तमान में निर्धारित केबलों का उपयोग करना होगा। बोली जमा करने से पूर्व बोलीदाताओं को अपने हित के लिए वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्सर की जाँच–पड़ताल करने की सलाह दी जाती है।

वित्तीय बोली

7. विशिष्ट नियम एवं शर्तें :

i) वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् तथा इसके संस्थानों में किराये पर EPABX प्रदान करने के लिए निविदा को तीन भागों में प्रस्तुत करना होगा, यथा पूर्व बाली प्रस्तुतिकरण, तकनीकी प्रस्ताव तथा वित्तीय प्रस्ताव।

ii) सफल बोलीदाता को बोली की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति एक औपचारिक आशय पत्र द्वारा सम्प्रेषित की जाएगी।

iii) सफल बोलीदाता को महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून के पक्ष में अनुबंध मूल्य के 5% के समकक्ष प्रदर्शन वारण्टी को समझौता हस्ताक्षर होने के अड़तालीस माह तक वैद्य एवं नवीकरणीय डिमांड ड्राफ्ट, एफ.डी.आर. या बैंक गारण्टी के रूप में

प्रदान करना होगा। यह अनुंबध प्रदान करने से 10 दिनों के अंतर्गत जमा करना होगा।

iv) सफल बोलीदाता को रु. 100/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध के समझौते को हस्ताक्षरित कर अनुबंध प्रदान किए जाने के 15 दिनों के अंतर्गत प्रस्तुत करना होगा।

v) उद्धरित दरों (अंकों तथा शब्दों में) में विसंगति होने की स्थिति में शब्दों में लिखित दर को वैध के रूप में लिया जाएगा।

vi) बोलीदाता के पास अपना स्वयं का इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।

vii) बोलीदाताओं के लघु–सूचीकरण से बोलीदाताओं को कोई भी अधिकार प्रदान करना नहीं है, इसका आशय मात्र यह है कि प्रस्तुत प्रस्ताव विचाराधीन है।

viii) बोली को प्रस्तुत करते समय यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने निविदा अभिलेख में वर्णित सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा स्वीकार कर लिया है।

ix) फार्म 3 के अनुसार, बोलीदाता कम्पनी/कार्यालय के सम्पूर्ण पते के साथ संपर्क व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम के साथ उनका टेलीफोन/फैक्स/मोबाइल नं./ई–मेल तथा अन्य विवरण इंगित करेगा।

x) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव में, देश के कानून के अनुसार प्रयोज्य सभी चुंगी, कर, आक्टोराई तथा अतिरिक्त व्यय, इत्यादि सम्मिलित होंगे तथा अनुबंध की अवधि के दौरान दरों में कोई भी संशोधन नहीं होगा।

xi) प्रस्ताव प्रारम्भिक रूप से पाँच वर्षों के लिए है तथा प्रदर्शन के आधार पर आपसी सहमति एवं विद्यमान नियमों के अनुसार इसे विस्तृत किया जा सकता है।

xii) निविदा खुलने की तिथि से न्यूनतम एक माह तक प्रस्ताव वैध रहेगा।

xiii) सशर्त निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

xiv) किसी भी विवाद की स्थिति में, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. विवाद का समाधान करेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्य होगा।

xv) सेवाओं को प्रदान करने के लिए आंशिक निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

8. सामान्य नियम एवं शर्तें :

i) वचनबद्धता की अवधि के दौरान, वेण्डर का परियोजना दल पूर्ण कर्मठता एवं दक्षता के साथ अपना संपूर्ण समय एवं ध्यान सेवाओं के प्रदर्शन पर विचारार्थ विषय की अनुरूपता में देगा। वेण्डर का परियोजना दल, विचारार्थ विषय के अनुसरण में या परियोजना की सामान्य व्यापकता के अंतर्गत ऐसे सभी प्रतिवेदनों या संस्तुतियों के

निर्माण में या सहायता करेगी, तथा कभी–कभी परियोजना के हित में क्लाइंट, उसके कर्मचारियों तथा एजेण्टों के साथ सहयोग करेगी। यहाँ तक की वचनबद्धता समाप्ति के पश्चात भी, वेण्डर उसके द्वारा निर्मित किसी भी ऐसे प्रतिवेदनों या संस्तुतियों के स्पष्टीकरण या व्याख्या हेतु उचित सीमा तक सहयोग करना जारी रखेगा।

ii) वेण्डर हर समय सचरित्र तथा विवेकानुसार कृत्य करेगा तथा विशेषकर परियोजना या सेवाओं के संबंध में क्लाइंट की पूर्वानुमति के बिना कोई भी सार्वजनिक बयान जारी करने से परहेज करेगा तथा किसी भी राजनैतिक क्रियाकलाप से दूरी बना कर रहेगा।

iii) क्लाइंट की लिखित सहमति के बिना, वह अपने उद्देश्य के लिए सेवाओं, परियोजना या क्लाइंट से संबंधित सूचना, जिसमें भुगतान के संबंध में सूचनाएं भी सम्मिलित हैं, को किसी भी व्यक्ति के सम्मुख प्रकट नहीं करेगा।

iv) वेण्डर सेवाओं के प्रदर्शन से उत्पन्न किसी भी दुर्घटना या आघात तथा क्लाइंट की सम्पति को कोई भी क्षति या तृतीय पक्ष को कोई भी क्षति तथा उसके संज्ञान के अंतर्गत ऐसी किसी भी दुर्घटना या क्षति के संबंध में तत्काल क्लाइंट को सूचित करेगा। वह क्लाइंट को ऐसी किसी भी परिस्थितियों या घटनाओं के बारे में भी तत्काल रिपोट करेगा जोकि सेवाओं के प्रदर्शन में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, इसमें उसके यातायात तथा आवास से संबंधित परिस्थितियां तथा घटनाएं भी सम्मिलित हैं।

v) सेवाओं के निष्पादन के दौरान वेण्डर द्वारा तैयार सभी प्रतिवेदन, नोट्स, आरेखण, विशिष्टताएं, सांख्यिकी, योजनाएं और अन्य अभिलेख तथा वेण्डर द्वारा संकलित आंकड़ें क्लाइंट की सम्पत्ति होंगे तथा अनुबंध की समाप्ति पर क्लाइंट के यथानिर्देशों के अनुसार नष्ट कर दिए जाएंगे। वेण्डर ऐसे अभिलेखों की प्रतियों को रख सकता है।

vi) 'अनुबंध अवधि' की समाप्ति के पश्चात वेण्डर क्लाइंट की सहमति के बिना प्रदत्त परियोजना में अग्रेतर कार्य, परियोजना के संबंध में या परियोजना द्वारा उत्पन्न किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं होगा। हालांकि, ऐसी किसी भी सहमति पर अनुचित रूप से रोक नहीं लगाई जाएगी।

vii) किसी भी दावे को लागू करने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही और इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाला कोई भी वाद, देहरादून, उत्तराखण्ड में स्थित सक्षम न्यायालय की अदालत को छोड़कर अन्यत्र नहीं की जा सकेगी।

viii) स्वीकृति प्रस्ताव की प्राप्ति के 10 दिनों के अंतर्गत असाइनमेण्ट का प्रारम्भन करना होगा।

ix) सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प., देहरादून बिना किसी कारण नियत किए निम्नांकित हेतु विशेषाधिकार सुरक्षित रखता है :

क) प्रस्ताव को पूर्णतः या किसी भाग की स्वीकृति या अस्वीकृति
ख) किसी या सभी प्रस्तावों का आंशिक या संपूर्ण अस्वीकरण
ग) निविदा नोटिस को रद्द या वापस लेना
घ) इन स्थितियों से अन्यत्र कोई भी भिन्नता की स्वीकृति या अस्वीकृति

एन. बी. : सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प., देहरादून न्यूनतम निविदा या किसी निविदा के न्यूनतम भाग को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

9. भुगतान की शर्तें

क) कार्य की प्रगति की समीक्षा तथा आउटपुट के अनुसार निम्नांकित चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा :

भुगतान समय

क्र.सं.	**विवरण**	**भुगतान समय**
1.	EPABX का किराया	किराये पर EPABX के अधिष्ठापन पश्चात मासिक

ख) अनुबंध के अंतर्गत प्रदत्त कार्य के निष्पादन हेतु प्रयुक्त सेवाओं या सामाग्री पर देय वस्तु एवं सेवा कर, कार्य अनुबंध कर या वर्तमान में लागू कोई अन्य कर या शुल्क हेतु कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, तथा वेण्डर द्वारा स्वयं ऐसे सभी करों एवं शुल्कों का भुगतान करना होगा।

नोटः किराये पर EPABX के मासिक बिल के साथ वस्तु एवं सेवा कर को सम्मिलित करना होगा।

ग) अनुबंध समझौते के क्रियान्वयन से उत्पन्न सरकार द्वारा लगाये गए किसी भी कर, शुल्क तथा किसी भी अन्य वैधानिक चुंगियों की कटौती भा.वा.अ.शि.प. द्वारा की जाएगी।

घ) आयकर नियमों/कानून के अंतर्गत भुगतान स्रोत पर कर–कटौती (टी.डी.एस.) के अधीन है।

10. **अर्थदण्ड**

क) कार्यान्वयन में विलंब

वेण्डर द्वारा EPABX के अधिष्ठापन में विलंब के कारण, भा.वा.अ.शि.प. से कारण के संबद्ध नहीं होने के फलस्वरूप एक 1 (माह) से अधिक के लिए अंतिम भुगतान पर @ 0.5% प्रति सप्ताह की दर से वेण्डर पर जुर्माना लगाया जाएगा, जोकि कुल परियोजना लागत का अधिकतम 5% तक होगा।

ख) **अर्थदण्ड – EPABX हेतु प्रावधान**

यदि वेण्डर किसी यंत्र को 12 घण्टों के अंतर्गत रिपेयर करने में विफल रहता है, उसे चेतावनी दी जाएगी तथा यदि खराबी 24 घण्टों से अधिक रहती है, वेण्डर पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा तथा जुर्माने की दर निम्नांकित अनुसार होगी :

विवरण	प्रति दिन की दर से जुर्माना
क. EPABX	रु. 1000/– प्रति दिन
ख. Node	रु. 05/– प्रति दिन
ग. FCBC तथा बैटरी बैक अप	रु. 100/– प्रति दिन

11. **भूमिका तथा उत्तरदायित्व**

11.1 भा.वा.अ.शि.प. की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

क) पर्याप्त रिक्त स्थान तथा अर्थिंग का प्रावधान।

ख) फ्री पावर तथा वातानुकूलित परिवेश का प्रावधान।

ग) स्विच रूम में एम.डी.एफ. से उपभोक्ता प्वाइंट तक इंटरनल वाइरिंग का प्रावधान।

घ) टेलीफोन उपकरणों का प्रावधान।

11.2 वेण्डर की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

(02) दो पी.आर.आई. (किराया मुक्त) के साथ किराये पर नवीन EPABX प्रणाली

a) संपूर्ण स्विचिंग, अधिष्ठापन, संस्थानल तथा परीक्षण यंत्र के प्रावधान हेतु

- वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (मुख्यालय) हेतु वॉयस ओवर इण्टरनेट प्रोटोकॉल के लिए सक्षम 700 वर्किंग एक्सटेंशन।
- आवश्यकतानुसार किसी भी समय कार्ड्स के परिवर्धन/प्रतिस्थापन के माध्यम से डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन्स (डी.एस.एल.)/मूल्य वर्धित सेवाओं (वी.ए.एस.) को जोड़ा जा सके या सक्षम हो।

b) 12–18 घण्टों के बैकअप के लिए बैटरीयों को सम्मिलित कर संपूर्ण पावर प्लांट का प्रावधान।

c) लाइन प्रोटेक्शन के साथ इसकी वायरिंग के साथ संपूर्ण एम.डी.एफ. का प्रावधान तथा परीक्षण।

d) फॉल्ट अवस्थिति, उपभोक्ता प्रबंधन तथा बिलिंग सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रावधान।

e) पी.आर.आई. कनेक्टीविटी के माध्यम से बाहर से 1:12 में कनेक्ट करने का प्रावधान।

f) सभी अवस्थितियों के एक्सचेंज के मध्य समन्वय करने के लिए फर्म से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान।

नोट : **दरों के उद्धरण से पूर्व मानक EPABX प्रणाली रेण्ट फ्री PRI लाइन्स सम्पूर्ण MDF इत्यादि के अनुसार वेण्डर वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् को छोड़कर सभी संस्थानों से संबंधित संस्थान/केन्द्र में मूलभूत EPABX की प्राथमिक आवश्यकता तथा विशिष्टता प्राप्त कर लें।**

12. प्रदेय (डिलीवरेबल्स) के साथ कार्यान्वयन हेतु समयसीमा

12.1 दलों की आपसी सहमति न होने पर, परियोजना को समझौता हस्ताक्षरित होने की 1 (एक) माह की अवधि तक पूर्ण होना चाहिए।

12.2 अनुबंध अवधि के दौरान कार्य निष्पादन हेतु वेण्डर एक विस्तृत योजना (क्रियाकलाप वार समयसीमा) प्रस्तुत करेगा। वेण्डर साप्ताहिक आधार पर सदस्य सचिव को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

12.3 वेण्डर के प्रतिनिधि तकनीकी समिति से संपर्क करेंगे तथा प्राप्त प्रगति को प्रतिपादित करेंगे तथा तकनीकी समिति द्वारा प्रदेयों को भी सुगम करेंगे।

12.4 सेवाओं की संतुष्टिपूर्ण समाप्ति वह तिथि होगी जिसमें भा.वा.अ.शि.प. तकनीकी समिति द्वारा सेवाओं के संतोषजनक समाप्ति का उचित प्रमाण पत्र निर्गत कर स्वीकार करता हो।

13. विवाद मध्यस्ता

13.1 अनौपचारिक विवाद समाधन : समझौते के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी विवादों के समाधान के लिए पक्ष बातचीत, सदभाव तथा उनके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से मध्यस्ता करने के लिए सहमत हैं। इसके लिए, पक्ष उनके/अपने प्रतिनिधियों या वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से सभी प्रासंगिक तथ्यों, सूचना तथा अभिलेखों का स्पष्ट, सरल तथा समयबद्ध प्रकटन के लिए सहमत हैं।

13.2 मध्यस्थता

सभी प्रश्न और विवादों को, सिवाय उनके जिनके बारे में अनुबंध में अन्यथा प्रावधान है, जो कि किसी भी तरह से अनुबंध से संबंधित हों या उसकी वजह से हों या अन्यथा कार्य से संबंधित हों या निष्पादन या निष्पादन की विफलता के संबंध में हों, चाहे रखरखाव अनुबंध की प्रगति के दौरान उत्पन्न हों या पूरा होने के बाद या उसके परित्याग के पश्चात, विवाद के समय महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, (DG, ICFRE) देहरादून द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। ऐसी नियुक्ति पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त किया गया ऐसा मध्यस्थताकारी भा.वा.अ.शि.प. का एक कर्मचारी है या सरकारी नौकर है अथवा जिस संविदा से संबन्धित है उसने उस मामले को निपटाया हो या वह अपने इस कार्य के समय भा.वा.अ.शि.प. का कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी हो, के रूप में उसने विभिन्न विवादों के सभी अथवा किसी मामले में उसने अपने विचार व्यक्त किए हों। मध्यस्थ व्यक्ति, जिसे मामला मूल रूप से सौंपा गया है अपने कार्यालय को छोड़ने अथवा स्थानांतरण होने अथवा किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में उस व्यक्ति के स्थान पर महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा चयन किए गए अन्य व्यक्ति अनुबंध की शर्तों के अनुरूप मध्यस्थता व उस कार्य को उसके पूर्व के व्यक्ति की छोड़ी हुई स्थिति से आगे करने के लिए योग्य होंगे। इस संविदा की एक शर्त यह भी है कि महानिदेशक, भा.वा. अ.शि.प. द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में

कार्य नहीं कर सकता। किसी भी कारण हेतु यदि ऐसा संभव नहीं है तो मामला ऐसी किसी भी स्थिति में मध्यस्थता के लिए नहीं सौंपा जाएगा जहां विवाद में दावे की राशि रूपये 50000/- या उससे अधिक है।

उपर्युक्त विषय के रूप में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान या किसी भी वैधानिक संशोधनों या उसके पुनः अधिनिर्णय और उसके द्वारा बनाए गए नियमों और उस समय के लिए लागू होने वाले नियम इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे।

अनुबंध के तहत सेवाएं, ऐसे किसी भी विवाद, प्रश्न या झगड़े के अस्तित्व के बावजूद, मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, जारी रहेंगी और भा.वा.अ.शि.प. या फर्म द्वारा देय या बकाया, इस कार्यवाही के कारण, जब तक कि ऐसे भुगतान मध्यस्थता का प्रत्यक्ष विषय नहीं होंगे, रूके रहेंगे। मध्यस्थता का संदर्भ कानून में किसी अन्य कार्रवाई के लिए एक शर्त होगी।

13. इस समझौते की समाप्ति या अवसान के पश्चात भी यह प्रावधान कायम रहेगा।

14 अप्रत्याशित घटना

14.1 इस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष के प्रदर्शन की दायित्वों का प्रदर्शन अप्रत्याशित घटना के अधीन होगा।

14.2 यदि कोई अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित रूप में ऐसी स्थिति तथा उसका कारण से तत्काल सूचित करेगा। भा.वा.अ.शि.प. द्वारा जब तक कि लिखित में निदेश नहीं निर्गत किया गया हो, वेण्डर समझौते के अंतर्गत, जब तक कि यथाचित रूप से संभव हो अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखेगा। किसी भी पक्ष को किसी भी अतिरिक्त देनदारियों के बिनाए इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार हैए यदि अप्रत्याशित घटना की अवधि 90 (नब्बे दिन) से अधिक समय तक जारी रहती है।

फॉर्म 1

विगत 5 वर्षों में समान प्रकार तथा परिमाण के सफलतापूर्वक पूर्ण एसाइनमेण्ट

क्र. सं.	एसाइनमेण्ट / परियोजना का नाम	एसाइनमेण्ट की लागत	प्रारम्भन की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	क्या एसाइनमेण्ट संतोषजनक रूप से पूर्ण हुआ था	संगठन की दूरभाष संख्या के साथ पता जहाँ एसाइनमेण्ट निष्पादित किया गया
1	2	3	4	5	6	7

नोट : उपर्युक्त कथन के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत किए जाने हैं।

फॉर्म 2

निविदाकर्ता का विवरण

1. निविदाकर्ता का नाम : . . . .
2. मुख्यालय / पंजीकृत कार्यालय पता : . . . .
   अ) डाक :. . . . .
   ब) फैक्स नं. :. . . . .
   स) दूरभाष संख्या (एं) : . . . .
   द) ईमेल पता :. . . . .
   ई) वेबसाइट पता : . . . .
3. कंपनी का पूर्व नाम (यदि हो) :. . . . .
4. देहरादून कार्यालय का पता : . . . .
   अ) डाक : . . . .
   ब) फैक्स नं. :. . . . .
   स) दूरभाष संख्या (एं) : . . . .

द) ईमेल पता : . . . .

5. संगठन का प्रकारः वैयक्तिक / साझेदारी / निगमितः....................................
6. स्थापना वर्षः . . . .
7. जमा की गई बयाना जमा राशिः . . . .

अ) सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी सः . . . .

ब) बैंक विवरण : . . . .

स) धनराशि : . . . .

8. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पता तथा इस उद्धरण हेतु संपर्क व्यक्ति
9. क्या उद्धरण के साथ बोली खोलने में भाग लेने के लिए प्राधिकार पत्र संलग्न है?
10. क्या पैन प्रमाण पत्र संलग्न है ?
11. जी.एस.टी.एन. संख्या
12. आईएसओ प्रमाणपत्र है?
    यदि हाँ / तो क्या तकनीकी बोली में
    दस्तावेज संलग्न है.................................

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम
कार्यालय मोहर

दिनांकः
स्थानः

<u>फॉर्म 3</u>

बोली प्रस्ताव पत्र

निविदाकर्ता का प्रस्ताव संदर्भ सं. एवं दिनांकः . . . .
निविदाकर्ता का नाम एवं पता . . . .
जिस व्यक्ति से संपर्क करना हैः . . . .
पदनामः . . . .

टेलीफोन नं. ईमेल फैक्स नं.: . . . .

सेवा में,

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून 248006

विषयः वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् तथा इसके संस्थानों के लिए किराये पर EPABX प्रणाली प्रदान करने हेतु निविदा अभिलेख

महोदय,

1. हम, अधोहस्ताक्षरी निविदाकर्ताओं ने निविदा दस्तावेज में उल्लिखित उपरोक्त बताई गई अनुरक्षण संविदा संबंधी बोली दस्तावेज पढ़ लिया है और विस्तृत रूप से जाँच कर ली है।
2. हमारे प्रस्ताव में उल्लिखित सभी कीमतें निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार हैं।
   इस प्रस्ताव की सभी कीमतें और अन्य शर्तें बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 दिवसों की अवधि के लिए वैध हैं।
3. हम यहाँ पुष्टि करते हैं कि हमारी बोली की कीमतों में आयकर, व्यावसायिक कर तथा सेवा कर इत्यादि सभी कर सम्मिलित हैं।

4. हमने भारतीय आयकर से संबन्धित खंड का अध्ययन कर लिया है तथा हम घोषणा करते हैं कि कानून/नियम के अंतर्गत यदि कोई आयकर पर अधिभार या अन्य कोई कॉर्पोरेट शुल्क लिया जाता है तो हम उसका भुगतान करेंगे।
5. हमने रूपयें 50,000/– (पचास हजार रूपये मात्र) की बयाना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कर दी है तथा हम समझते हैं कि निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसरण में यह राशि जब्त कर ली जा सकती है।
6. हम आगे यह घोषणा करते हैं कि हमारें प्रस्ताव में लिखे गए मूल्य बोली दस्तावेज के नियम और शर्तों के अनुसार हैं।
7. हम पुष्टि करते हैं कि हमने आपके निविदा दस्तावेज में आपके द्वारा मांगा गया अर्ह डाटा प्रस्तुत किया है। हमारी बोली के मूल्यांकन से पूर्व इस संबंध में कोई अग्रिम सूचना/दस्तावेजी प्रमाण यदि आवश्यक हुआ तो, आपकी संतुष्टि हेतु समय पर हम प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।
8. हम यह घोषणा करते हैं कि हमारा प्रस्ताव दुरभिसंधि अथवा धोखारहित विश्वसनीयता से तैयार किया गया है तथा इस प्रस्ताव में दी गई सूचनाएँ हमारें संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।
9. हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा उचित तरीके से मुहरबंद कर तैयार की गई है ताकि प्रस्तुत करने के पश्चात इसमें कोई बदलाव या प्रतिस्थापन न हो सके।
10. हम समझते हैं कि आप सबसे कम या किसी भी बोली को, जो आपको प्राप्त हो सकती है, को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं, या आंशिक आदेश देने या किसी भी बोली को अस्वीकार करने या निविदा रद्द करने के लिए कोई कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं हैं।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

दिनांकः नामः
स्थानः पदनामः
व्यावसायिक पताः मोहर

<u>फार्म 4</u>

बैंक गारण्टी हेतु प्रपत्र

(देश के निर्गतकर्ता बैंक द्वारा स्टाम्प अधिनियम, यदि कोई, के अनुसार स्टाम्प किया जाए)

संदर्भ : बैंक गारण्टी :

तिथि :

महोदय,

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् देहरादून (एतद्पश्चात, 'भा.वा.अ.शि.प.' के रूप में संबोधित किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति जब तक इसके अर्थ के साथ प्रतिकूल न हों, जिसमें इसके समनुदेशति, प्रशासक तथा अनुदेशति सम्मिलित हैं) के विचाराथ में जिन्होने मैसर्स (एतद्पश्चात, वेण्डर के रूप में संबोधित किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति जब तक इसके अर्थ के साथ प्रतिकूल न हों, जिसमें इसके समनुदेशति, प्रशासक तथा अनुदेशति सम्मिलित हैं) को प्रदत्त, जिसके परिणामतः हेतु अनुबंध मूल्य को एतद्पश्चात 'अनुबंध' कहा गया है तथा धनराशि (शब्दों में तथा अंकों में) के उपर्यक्त अनुबंध के निष्पादन हेतु भा.वा.अ.शि.प. ने वेण्डर को वेण्डर द्वारा प्रस्तुत बैंक गारण्टी के विरूद्ध अग्रिम के भुगतान पर सहमति दी है।

हम (बैंक का नाम) मुख्यालय

(एतद्पश्चात, बैंक के रूप में संबोधित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति जब तक इसके अर्थ के साथ प्रतिकूल न हों, जिसमें इसके समनुदेशति, प्रशासक तथा अनुदेशति सम्मिलित हैं) तत्काल वेण्डर द्वारा देय उपर्युक्त धनराशि, बिना किसी आपत्ति, दुराव, प्रतिवाद, संसाधन या संघर्ष तथा वेण्डर के किसी भी संदर्भ के बिना भा.वा.अ.शि.प. को प्रदान करने की गारण्टी देते हैं। न्यायालय, न्यायाधिकरण, जज या किसी भी प्राधिकारी के सम्मुख लंबित वाद की किसी भी स्थिति में भा.वा.अ.शि.प. द्वारा ऐसी कोई भी माँग बैंक पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगी। हम सहमत हैं कि एतद्द्वारा प्रस्तुत गारण्टी अखण्डनीय होगी तथा भा.वा.अ.शि.प. द्वारा प्रवर्तनीय होगी।

भा.वा.अ.शि.प. के पास गारण्टी के अंतर्गत बैंक की देयता को किसी भी प्रकार से बाधित किए बिना, समय–समय पर अग्रिम को बदलने वेण्डर के प्रदर्शन के लिए अनुबंध की समयसीमा विस्तृत करने की स्वतंत्रता होगी। भा.वा.अ.शि.प. के पास इस गारण्टी को प्रभावित किए बिना, समय–समय पर विलंबित करने या उनके पास निहित किसी भी अधिकार तथा भा.वा.अ.शि.प. तथा वेण्डर के मध्य किसी भी पारस्परिक संविदा, अनुबंध में निहित या सम्मिलित किसी कार्यप्रणाली का अधिकार होगा। उक्त मामलों के संबंध में या उनमें से किसी में भा.वा.अ.शि.प. द्वारा किसी भी प्रकार के आसक्ति में बैंक अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

बैंक सहमत है कि भा.वा.अ.शि.प. अपने मद के अनुसार, वेण्डर से संबंधित देयता की किसी भी स्थिति में किसी किसी भी परामर्शदाता के बिना प्रथमदृष्टया बैंक पर इस गारण्टी लागू करने का हकदार होगा। हालांकि, उपर्युक्त से अन्यत्र हमारी देयता से ऊपर हैं, हमारी गारण्टी तक सीमित है तथा यह तक लागू है तथा समय–समय पर मैसर्स के द्वारा जिसके लिए हमने यह गारण्टी दी है द्वारा विस्तृत होगी।

दिनांक .... 2020 समय .... को

बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तथा मोहरे

<u>फॉर्म – 5</u>

फर्म के प्रस्तावित नोडल अधिकारी के व्यक्ति वृत्त का प्रारूप

(समझौते के समय प्रस्तुत करना है)

प्रस्तावित पद : नोडल अधिकारी

फर्म का नाम :

नोडल अधिकारी का नाम एवं पदनाम :

पदत्त कार्यों का विवरण

दूरभाष संख्या कार्यालय आवास

मोबाइल ई–मेल

विशिष्ट विशेषता

1. उपभोक्ता वार बिलिंग सुविधा।
2. आंतरिक तथा बाहरी कॉल के पूर्णतः रखरखाव के लिए कॉल बिलिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए।
3. पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पी.एस.टी.एन.) से पी.आर.आई. (शुल्क मुक्त) कनेक्टिीविटी 1:12 के अनुपात में प्रदान की जानी चाहिए।

(02) दो पी.आर.आई. (शुल्क मुक्त) के साथ किराये पर नवीन EPABX प्रणाली वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् हेतु विशिष्टताएं

a) निम्नांकित हेतु सम्पूर्ण स्विचिंग अधिष्ठापन, प्रतिस्थापन तथा परीक्षण यंत्र

- वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (मुख्यालय) हेतु वॉयस ओवर इण्टरनेट प्रोटोकॉल के लिए सक्षम 700 वर्किंग एक्सटेंशन।
- आवश्यकतानुसार किसी भी समय कार्ड्स के परिवर्धन/प्रतिस्थापन के माध्यम से डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन्स (डी.एस.एल.)/मूल्य वर्धित सेवाओं (वी.ए.एस.) को जोड़ा जा सके या सक्षम हो।

b) 12–18 घण्टों के बैकअप के लिए बैटरीयों को सम्मिलित कर संपूर्ण पावर प्लांट का प्रावधान।

c) लाइन प्रोटेक्शन के साथ इसकी वायरिंग के साथ संपूर्ण एम.डी.एफ. का प्रावधान तथा परीक्षण।

d) फॉल्ट अवस्थिति, उपभोक्ता प्रबंधन तथा बिलिंग सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रावधान।

e) पी.आर.आई. कनेक्टीविटी के माध्यम से बाहर से कनेक्ट करने का प्रावधान।

f) सभी अवस्थितियों के एक्सचेंज के मध्य समन्वय करने के लिए फर्म से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान।

g) निविदा अभिलेख तथा BoQ के अनुसार अन्य संस्थानों के लिए प्रावधान।

h) EPABX ने भवनों तथा कॉपर की आंतरिक वायरिंग के मध्य आधारशिला के रूप में समर्थन करना होगा।

i) EPABX प्रदान करने वाले वेण्डर को EPABX के लिए वर्तमान में निर्धारित केबलों का उपयोग करना होगा। बोली जमा करने से पूर्व बोलीदाताओं को अपने हित के लिए वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्सर की जाँच–पड़ताल करने की सलाह दी जाती है।

नोट : दरों के उद्धरण से पूर्व मानक EPABX प्रणाली रेण्ट फ्री PRI लाइन्स सम्पूर्ण MDF इत्यादि के अनुसार वेण्डर वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् को छोड़कर सभी संस्थानों से संबंधित संस्थान/केन्द्र में मूलभूत EPABX की प्राथमिक आवश्यकता तथा विशिष्टता प्राप्त कर लें।

परिशिष्ट 1

संस्थानों / केन्द्रों / कार्यालयों का पता तथा संपर्क विवरण

क्र.सं.	संस्थान का नाम एवं पता	दूरभाष
1.	सहायक महानिदेशक (प्रशासन) प्रशासन निदेशालय भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.) पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006	0135–2750297
	कुलसचिव, वन अनुसंधान संस्थान (व.अ.सं.)	0135–2752678
2.	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, पी.बी. नं. 1061, फॉरेस्ट कैम्पस, आर.एस.पुरम., कोयम्बटूर – 641 002, तमिलनाडु (भारत)	091–422–2484942
3.	वन उत्पादकता संस्थान (व.उ.सं.) अरणोदय, राँची गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग – 23 लालगुटवा, राँची (झारखण्ड) 835303	0651–2526140
4.	काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (का.वि.प्रौ. सं.), फॉरेस्ट रिसर्च लैबोरेट्री कैम्पस, पी.ओ. मल्लेश्वरम, बैंगलुरू – 560003 (कर्नाटक)	22190101
5.	उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (उ.व.अ.सं.) पी.ओ. क्षेत्रीय वन अनुसंधान केन्द्र माण्डला रोड, जबलपुर – 482021 (म.प्र)	761–2840483
6.	शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (शु.व.अ.सं.) पी.ओ. कृषि मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर – 342005 (राजस्थान)	0291–2722549
7.	हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, पंथाघाटी – 171 013 शिमला, हिमाचल प्रदेश	0177–2626778
8.	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट (व.व.अ.सं.) देओवन, सोटाई, पोस्ट बॉक्स सं. 136, जोरहाट – 785001 (असम)	9435094399
9.	वन जैवविविधता संस्थान, हैदराबाद	040–66309500

BoQ

वित्तीय प्रस्ताव का सार

क्र. सं.	अवस्थिति	एक्सचेन्ज की क्षमता (नोड)	वार्षिक किराया प्रति नोड	वस्तु एवं सेवा कर इत्यादि, यदि कोई	कॉल शुल्क, यदि कोई	वस्तु एवं सेवा कर
1.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	700				
2.	उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	200				
3.	शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	200				
4.	काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरू	200				
5.	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	150				
6.	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	150				
7.	वन उत्पादकता संस्थान, राँची	70				
8.	हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला	70				
9.	वन जैवविविधता संस्थान, हैदराबाद	120				

नोट :

- दरों का उद्धरण भारतीय रूपयों में होना चाहिए
- दरों का उद्धरण सभी करों को छोड़कर किया जाना चाहिए
- आयकर नियमों के अनुसार टी.डी.एस. की कटौती की जाएगी
- वस्तु एवं सेवा कर को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना होगा तथा सरकार के नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा

विस्तृत दरों को इस परिशिष्ट के भाग क, ख तथा ग में उद्धरित करना होगा।

वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् हेतु विशिष्टताएं

700 लाइन्स के अधिष्ठापन हेतु नवीन डिजीटल EPABX प्रणाली, 12–18 घण्टों के बैकअप की बैटरीयों के साथ F.C.B.C. के साथ 1000 लाइन तक प्रोटेक्शन के साथ पूर्ण रूप से सुसज्जित 1000 पोर्ट एम.डी.एफ.। पी.आर.आई. कनेक्टीविटी के माध्यम से पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के साथ 1:12 में कनेक्ट करने का प्रावधान।

सामान्य विशेषताएं

निम्नांकित विशेषताओं के साथ प्रणाली आकारानुसार संक्षिप्त होनी चाहिए

1. डी.टी.एम.एफ. सुविधा।
2. डी.आई.डी. सुविधा।
3. कॉल बिलिंग सुविधा।
4. द्वेषपूर्ण कॉल को ज्ञात करने की सुविधा, इण्टरनल तथा एक्सटरनल दोनों।
5. कॉल अवरोध सुविधा।
6. संगीत के साथ कॉल होल्ड।
7. कॉल फ्लैस, हस्तांतरण, संगीत के साथ कॉल फार्वडिंग।
8. सी.एल.आई. सुविधा।
9. रात्रि सेवा।
10. फुली डुप्लीकेटेड।
11. ऑटो रीलोड प्रणाली।
12. धूलरोधी आवरण।
13. अग्नि एवं विद्युत रक्षण।
14. टर्मिनल पोर्टेबलिटी।
15. सी.टी.आई. इनबिल्ट।
16. आई.एस.डी.एन., ए.टी.एम. सक्षम।
17. न्यूनतम दो अतिरिक्त लाइन का प्रावधान।
18. एम.डी.एफ. एण्ड से उपभोक्ता तक दोष ज्ञात करने के सॉफ्वेयर का प्रावधान।
19. कॉल बिलिंग सॉफ्टवेयर का प्रावधान।
20. अन्य विशिष्ट एवं नवीन सुविधाएं इत्यादि।

(02) दो पी.आर.आई. (किराया मुक्त) के साथ किराये पर नवीन EPABX प्रणाली

क) वेण्डर 700 क्षमता (1000 तक अद्यतनीकृत) तक की विशिष्टताओं के साथ किराये पर तथा फाइबर ऑप्टिक या कॉपर के आधार पर EPABX प्रदान करेगा। EPABX ने भवनों तथा कॉपर की आंतरिक वायरिंग के मध्य फाइबर आप्टिक को आधार के रूप में समर्थन करना होगा।

ख) EPABX प्रदान करने वाला वेण्डर को वर्तमान में EPABX के लिए निर्धारित कैबलिंग का उपयोग करेगा। बोलियां प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाताओं को उनके हित में वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर की जाँच करने की सलाह दी जाती है।

EPABX हेतु सेवा स्तरीय समझौता (एस.एल.ए.)

1. सेवा मानकों की गुणवत्ता तथा प्रदर्शन का रख रखाव।
2. एम.टी.टी.आर. (Mean Time to Restore) का अनुरक्षण।
3. उपभोक्ता द्वारा दर्ज किए गए 99: दोषों का 24 घण्टों के अंतर्गत परिशोधन।
4. किसी भी स्थिति में कुल सिस्टम अपटाइम 99: से कम नहीं होना चाहिए।
5. बैटरी–बैक अप 12–18 घण्टों के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

- उपभोक्ता 02 शुल्क मुक्त पी.आर.आइ. लाइन सुनिश्चित करेगा।
- कनेक्टीविटी : पी.आर.आई. लाइन्स।
- दोष अनुरक्षण तथा नैदानिक सुविधाएं, यथा दोष का अभिज्ञान, सार्ट लाइन ओपन सर्किट, हाई वोल्टेज इत्यादि।
- वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के लिए 700 लाइनों की आवश्यकता है।
- यदि वर्तमान बैटरियों का बैक–अप 12–18 घण्टों से कम हो जाता है (घट जाता है), वर्तमान बैटरियों या एफ.सी.बी.सी. (चार्जर) को प्रतिस्थापित/मरम्मत एक सप्ताह के अंतर्गत की जाएगी। यदि समय सीमा के अंतर्गत प्रतिस्थापना/मरम्मत नहीं की जाती है, उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

परिशिष्ट – II

निविदा शर्तों की स्वीकार्यता का पत्र

निविदाकर्ता का प्रस्ताव संदर्भ सं. एवं दिनांकः . . . .
.निविदाकर्ता का नाम एवं पता . . . .
जिस व्यक्ति से संपर्क करना हैः . . . .
पदनामः . . . .
टेलीफोन नं. मोबाइल नं.
ईमेल फैक्स नं.ः . . . .

सेवा में,

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून 248006

विषयः वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् तथा इसके संस्थानों के लिए किराये पर EPABX प्रणाली प्रदान करने हेतु

महोदय,

1. हम, अधोहस्ताक्षरी निविदाकर्ताओं ने निविदा नोटिस सं. 03/PO/EPABX/Admin/ICFRE/ 2020-21 dt 22.05.2020 में निहित निविदा अभिलेख पढ़ लिया है और विस्तृत रूप से जाँच कर ली है तथा निविदा अभिलेख की सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार्य करते हैं।
2. हमारे प्रस्ताव में उल्लिखित सभी दरें निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार हैं।
3. हमने बैंक ड्राफ्ट के रूप में 50,000 (पचास हजार रूपये मात्र) की जमा बयाना धनराशि संलग्न की है।
4. हम पुष्टि करते हैं कि हमने आपके निविदा दस्तावेज में आपके द्वारा मांगा गया अर्ह डाटा प्रस्तुत किया है। हमारी बोली के मूल्यांकन से पूर्व इस संबंध में कोई अग्रिम सूचना/दस्तावेजी प्रमाण यदि आवश्यक हुआ तो, आपकी संतुष्टि हेतु समय पर हम प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।

5. हम घोषणा करते हैं कि यदि अनुबंध हमें प्रदान किया गया तो हम निविदा अभिलेख की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन गारण्टी जमा करेंगे।
6. हम यह घोषणा करते हैं कि हमारा प्रस्ताव दुरभिसंधि अथवा धोखारहित विश्वसनीयता से तैयार किया गया है तथा इस प्रस्ताव में दी गई सूचनाएँ हमारें संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।
7. हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा उचित तरीके से मुहरबंद कर तैयार की गई है ताकि प्रस्तुत करने के पश्चात इसमें कोई बदलाव या प्रतिस्थापन न हो सके।
8. हम समझते हैं कि आप सबसे कम या किसी भी बोली को, जो आपको प्राप्त हो सकती है, को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं, या आंशिक आदेश देने या किसी भी बोली को अस्वीकार करने या निविदा रद्द करने के लिए कोई कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं हैं।

इस निविदा बोली अभिलेख के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार की असमानता आदि की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

दिनांकः **नामः**

स्थानः **पदनामः**

व्यावसायिक पताः मोहर